

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा मध्यप्रदेश

// विविध आदेश //

क्रमांक.....14...../  
दो-1-1/2000

रीवा, दिनांक 22/01/2025

मध्यप्रदेश, व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा-15 व 21 (4) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्यविभाजन आदेश क्रमांक-336/दो-1-1/2000 दिनांक-30 अप्रैल 2024 को निम्नानुसार संसोधित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा:-

1. सरल क्रमांक-57 के स्तम्भ क्रमांक-04 की कंडिका क्रमांक-02 एवं 03 में लिखी इबारत "माह जनवरी से जून में रूपये 01 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण एवं रूपये 200 मूल्य तक के लघुवाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा-9 द्वारा अधिकृत)" को पूर्णतः विलोपित किया जाता है।
2. सरल क्रमांक-58 के स्तम्भ क्रमांक-4 में कंडिका क्रमांक-2 के पश्चात कंडिका क्रमांक-03 एवं 04 निर्मित कर "माह जनवरी से जून में रूपये 01 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण" एवं रूपये 200 मूल्य तक के लघुवाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा-9 द्वारा अधिकृत)" को जोड़ा जाता है।

शेष आदेश यथावत रहेंगे।

scd/-  
(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0.332/  
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 22/01/2025

प्रतिलिपि:-

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय  
रीवा / मउंगज / त्यौंथर / सिरमौर / हनुमना / मनगवां।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा / मउंगज / त्यौंथर / सिरमौर / हनुमना / मनगवां।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सिस्टम ऑफिसर की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
4. कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा को संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल एड्रेस में भेजने हेतु।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रीवा (म0प्र0)